संख्या– 881 /पाँच–5–2020

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2–**महानिदेशक,** परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ :दिनांकः 16 अप्रैल, 2020**

विषयः–प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु चिकित्सकों को TOT बेसिस पर Hands on training/on site traning दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.04.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपेक्षा अनुसार प्रशिक्षण हेतु चिकित्सकों की सूची चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 881 (1)/पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव

vk sir.go-com4

संख्या – 881/पांच-5-2020

कोविड–19 / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 2004 / 71–1–2020–जी0–228 / 2017टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2020
कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत राजकीय एवं निजी तथा स्वशासी मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इमरजेन्सी तथा ट्रामा सेन्टर में आने वाले मरीजों के उपचार एवं प्रबन्धन व मरीजों की स्कीनिंग तथा सेग्रिगेशन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–443 / 71–3–2020, दिनॉक 13.04.2020 द्वारा प्रोटोकाल / दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत ट्रामा एवं इमरजेन्सी संमेत अन्य विभागों यथा आब्स एवं गायनी (लेबर काम्प्लेक्स) / आंकोलॉजी / रेडियोथेरेपी / नेफ्रोलॉजी (डायलिसिस) / कार्डियोलॉजी एवं पीडियाट्रिक्स (एन्टीनेटल व नियोनेटल सेवायें) विभाग में भी उपर्युक्तानुसार निर्गत प्रोटोकाल के अनुसार मरीजों की स्कीनिंग व सेग्रिगेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। शासनादेश संख्या–404 / 71–4–2020, दिनॉक 21.03.2020 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में कोविड–19 के दृष्टिगत ऐन्टीनेटल क्लीनिक एवं नियोनेटल सेवाएं, कीमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी सेवाओं, डायलेसिस सेवाएं एवं कोविड–19 की स्कीनिंग से संबंधित ओ0पी0डी0 सेवाओं को छोड़कर अन्य ओ0पी0डी0 सेवाओं को स्थगित किया गया है।

2– उपर्युक्तानुसार निर्गत प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु चिकित्सकों को Hands on training for Emergency/Trauma and other clinical department related cases with special reference to Covid-19 संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु एक 06 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1–	प्रो0 डॉ0 जी0पी0 सिंह, आचार्य, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग / उप कुलपति के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	अध्यक्ष
2–	डॉ0 वीरेन्द्र आतम, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य संयोजक
3–	डॉ0 आर0 के0 सिंह, आचार्य, इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य
4–	डॉ0 नारायण प्रसाद, आचार्य, नेफ्रोलोजी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	
5–	डॉ0 आदित्य कपूर, आचार्य, कार्डियोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य
6–	डॉ0 डी0 हिमांशु डी0 रेड्डी, एडिशनल प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य

3– उपर्युक्तानुसार गठित टास्क फोर्स के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगे:–

(1) शासनादेश संख्या–443 / 71–3–2020, दिनॉक 13.04.2020 एवं शासनादेश संख्या–404 / 71–4–2020, दिनॉक 21.03.2020 द्वारा निर्गत प्रोटोकाल / दिशा–निर्देश के अनुसार चिकित्सालय के ट्रामा एवं इमरजेन्सी समेत अन्य उपरिवर्णित विभागो में आने वाले मरीजों की स्कीनिंग एवं सेग्रिगेशन किये जाने हेतु Hands on training & online platform के माध्यम से चिकित्सकों को प्रशिक्षित करेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार गठित टास्क फोर्स द्वारा TOT basis पर Hands on training/On site training दिनॉक 16.04.2020 से 21.04.2020 (रविवार को छोड़कर) के मध्य करायी जायेगी। इसमें प्रत्येक

श्रीराव
16/04/2020

जनपद में से 02 चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों अर्थात् प्रतिदिन कुल 30 चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार कुल 150 चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों को Hands on training/On site training प्रदान की जायेगी। इस निमित्त के0जी0एम0यू0, लखनऊ नोडल संस्था होगी।

(3) टास्क फोर्स द्वारा प्रदेश के 52 मेडिकल कालेजों के संबंधित विभागों के चिकित्सा शिक्षकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ को सप्ताह में 02 दिन यथा बुधवार एवं शनिवार को अपरान्ह 03:00 से 06:00 बजे तक ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके निमित्त एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ नोडल संस्था होगी।

(4) चिकित्सालयों में उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु आने वाले मरीजों की निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार स्क्रीनिंग व सेग्रिगेशन किये जाने हेतु पी0पी0ई0 किट एवं एन-95 मास्क की दैनिक आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

डॉ0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2004 (1)/71-1-20, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को TOT basis पर Hands on training/On site training हेतु चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सभी राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेजों/संस्थानों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करने का कष्ट करें।
6. विशेष सचिव (श्री आलोक कुमार पाण्डेय), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं राज्य नोडल अधिकारी, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ।
7. निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. प्रो0 डॉ0 जी0पी0 सिंह, आचार्य, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग/उप कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
10. डॉ0 वीरेन्द्र आतम, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
11. डॉ0 आर0 के0 सिंह, आचार्य, इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
12. डॉ0 नारायण प्रसाद, आचार्य, नेफ्रोलोजी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
13. डॉ0 आदित्य कपूर, आचार्य, कार्डियोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
14. डॉ0 डी0 हिमांशु डी0 रेड्डी, एडिशनल प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
15. नोडल अनुभाग चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
16. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 एवं 4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।